तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश फतेहपुर जिला सीकर

प्रकरण संख्या– 06/2017

विनोद बनाम विनय वगैरह

दिनांक–15.10.2025

अधिवक्ता वादीगण श्री प्रमोद कुमार मोदी व अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री सर्वेश सारस्वत उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 2 से 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 14 नियम 5 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पर उभयपक्ष को सुना जा चुका है।

बहस के दौरान प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए तर्क दिया गया कि हस्तगत प्रकरण में न्यायालय द्वारा विवाद्यकों को विरचित किये जाते समय सहवन से विवाद्यक–

आया वादीगण का वाद मियाद बाहर है ?

प्रतिवादी

विरचित किया गया है जबकि विधि के प्रावधानों के अनुसार विवाद्यक–

आया वादपत्र अंदर मियाद कानून है ?

वादी

विरचित किया जाना चाहिए था क्योंकि वादी द्वारा वादपत्र को अंदर मियाद अवधि बताया गया है। ऐसी स्थिति में इस बिन्दु को साबित करने का भार सदैव वादी पर होने से हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार विवाद्यक विरचित किया जावे।

उपर्युक्त तर्कों के खण्डन में अधिवक्ता अप्रार्थीगण /वादीगण द्वारा न्यायालय द्वारा विवाद्यक पक्षकार को सुनने व अभिवचनों तथा दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात् विधिसम्मत तरीके से बनाये जाने व प्रस्तावित विवाद्यक विरचित किया जाना विधिसम्मत नहीं होने से हस्तगत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

उभयपक्ष को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि वादी द्वारा वादपत्र में विक्रय पत्र दिनांक 21.07.2016 व 09.08.2016

15-10-2025

अपर जिला न्यायाधीश
फतेहपुर-शेखावाटी (सीकर) राज.

की नकल प्राप्त करने व क्रेतागण द्वारा वादी के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करने से इनकार करने की दिनांक से वाद लाने का अधिकार उत्पन्न होने के कारण वाद अंदर मियाद होने का कथन किया गया है तथा प्रतिवादीगण द्वारा लिखित कथन में उपर्युक्त वादग्रस्त विक्रय पत्रों की पहले से ही पूर्ण जानकारी होने से वादपत्र अंदर मियाद नहीं होने का कथन किया गया है एवं इसी आधार पर न्यायालय द्वारा अभिवचनों के आधार पर परिसीमा अवधि का विवाद्यक निम्नानुसार विरचित किया गया है–

"आया दावा वादी मियाद बाहर है ?"

प्रतिवादीगण

इस संबंध में आदेश 14 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार पक्षकारों के मध्य विवादग्रस्त वादों के अवधारण के लिए आवश्यक होने पर न्यायालय द्वारा डिक्री पारित करने से पूर्व किसी भी समय विवाद्यकों में संशोधन किया जा सकता है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में उभयपक्ष को सुना जाकर दिनांक 20.01.2024 को विवाद्यक विरचित किये गये हैं तथा उस समय किसी भी पक्षकार द्वारा अन्य कोई विवाद्यक नहीं सुझाया गया है एवं हस्तगत प्रकरण इस न्यायालय की टारगेटेड 2 नंबर की पत्रावली है जिसमें वादी साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात् हस्तगत आवेदन पेश किया गया है साथ ही प्रार्थीगण द्वारा इस विवाद्यक में संशोधन की आवश्यकता प्रकट करने वाला कोई नवीन तथ्य जाहिर नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण द्वारा लिखित कथन में वादीगण को विक्रय पत्र निष्पादित करने की जानकारी होने का विशिष्ट कथन किया गया है, ऐसी स्थिति में इस तथ्य को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर रखा जाना उचित प्रतीत होता है। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि परिसीमा अवधि के विवाद्यक के संबंध में उभयपक्षों की साक्ष्य व सुसंगत विधि के आधार पर ही न्यायालय द्वारा विनिश्चय किया जाना है, ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा उपर्युक्तानुसार विरचित विवाद्यक में पक्षकारों के मध्य विवादग्रस्त Matters के अवधारण के लिए संशोधन

15-10-2025

अपर जिला न्यायाधीश
फतेहपुर-शेखावाटी (सीकर) राज.

हुक्म या कायर्वाही मय इनिशियल जज

नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश फतेहपुर जिला सीकर

प्रकरण संख्या– 06/2017

विनोद बनाम विनय वगैरह

किया जाना आवश्यक नहीं पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 2 से 5 द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 14 नियम 5 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली न्यायालय की **टारगेटेड नंबर 2** होने से वास्ते साक्ष्य प्रतिवादीगण हेतु दिनांक 16.10.2025 को पेश हो।

Jaipur
15-10-2025

अपर जिला न्यायाधीश
फतेहपुर-शेखावाटी (सीकर) राज.